

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ4( )पंरावि/पीसी/बजट 4515/2012-13/ 174 जयपुर, दिनांक 18/2/2013

“संशोधित प्रशासनिक स्वीकृती”

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2012-13 के बिन्दु संख्या 92.1.0 की क्रियान्विति के फलस्वरूप 33 जिला परिषदों के परिसरों में निर्मित किये जाने वाले प्रशिक्षण एवं विश्राम भवनो के निर्माण हेतु पूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृती संख्या 1130 दिनांक 3107.2012 में आंशिक संशोधन करते हुये कुल राशि रूपये 1220.00 लाख (अक्षरे रूपये बारह करोड बीस लाख मात्र) निम्न बजट मदो से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा आहरण किये जाने की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है। राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

माग सं. 41

- 4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।  
103 :- ग्राम विकास।  
(01) :- निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।  
[01] :- पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु।  
16 :- लघु निर्माण कार्य -आयोजना -राशि रु 856.93 लाख।

माग सं. 51

- 4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।  
789 :- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना।  
(10) :- निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।  
[01] :- जिला परिषदों /पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।  
16 :- लघु निर्माण कार्य -आयोजना -राशि रु 209.84 लाख।

माग सं. 30


- 4515 :- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।  
796 :- जनजातीय क्षेत्र उप योजना।  
(11) :- निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से।  
[01] :- जिला परिषदों /पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु।  
16 :- लघु निर्माण कार्य -आयोजना -राशि रु 153.23 लाख।

उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाने है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या-33130057 दिनांक 3.01.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0 विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
6. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पूर्व आदेश क्रमांक प 4 (251) वित्त-1 (1)/आ.व्य./2011 दिनांक 24.8.12 के क्रम में प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त राशि रुपये 1220.00 लाख (अक्षरे रुपये बारह करोड़ बीस लाख मात्र) के आहरण हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोषालय जयपुर शहर) को अधिकृत करने के संबंध में स्वीकृति जारी कराने का श्रम करे।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग राज0 जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।
10. वित्तीय सलहाकार, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
11. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से लगातार सम्पर्क कर शीघ्र निर्माण की कार्यवाही करावें।
13. प्रोग्रामर(मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
14. अंक मिलान /सांख्यिकी /रक्षित पत्रावली

  
अधिशोषी अभियन्ता (प्रो0)